

सपत्ति प्रबन्ध कार्यालय
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, प्रथम तल,
वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।

पत्रांक 20 / सं0प्र0 वृन्दावन / मांग पत्र / HM/B2-1203
सेवा में,

दिनांक : 01/01/2013

श्री / श्रीमती / कु0 ABHISHEK SHRIVASTAVA
पुत्र / पुत्री / पत्नी SC SHRIVASTAVA

577 I, GANGA NAGAR
AROGYA MANDIR
GORAKHPUR-273003

उ-5/5 जजु कम्पाउंड,
मिन्ट वाटाजाली- 221001

विषय:-परिषद की वृन्दावन योजना, संख्या-4 सेक्टर-17 लखनऊ में स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2012(प्रथम चरण) के अन्तर्गत हिमालय एन्क्लेव में फ्लैट संख्या HM/B2-1203 के आवंटन/मांगपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,


उपर्युक्त विषयक सहर्ष अवगत कराना है, कि परिषद की वृन्दावन योजना, संख्या-4 सेक्टर-17 लखनऊ में स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2012 के प्रथम चरण के अन्तर्गत हिमालय एन्क्लेव में निर्माणाधीन फ्लैट्स का दिनांक 29.12.2012 को हुये लाटरी/नम्बरिंग ड्रा में पंजीकरण/चालान संख्या 2568 के विरुद्ध आपको हिमालय एन्क्लेव में तल संख्या 12 पर (2BHK) के फ्लैट संख्या HM/B2-1203 का आवंटन हुआ है।

अतः आपके पक्ष में आवंटित फ्लैट संख्या HM/B2-1203 के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित किया जा रहा है।

- | | |
|--|------------------|
| (1) फ्लैट का अनुमानित विक्रय मूल्य | रु0 28,90,000.00 |
| (2) फ्लैट का सुपर एरिया | 94.19 वर्गमी0 |
| (3) जमा पंजीकरण धनराशि | रु0 1,50,000.00 |
| (4) प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा की जाने वाली धनराशि (जो पत्र निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर देय हैं) | रु0 3,95,000.00 |
| (5) अतिशेष धनराशि (जिसका भुगतान 07 त्रैमासिक किश्तों में किया जाना है) | रु0 23,45,000.00 |
| (6) प्रथम त्रैमासिक किश्त की धनराशि जो दिनांक 01.02.2013 से देय होगी। | रु0 3,35,000.00 |
| (7) कुल देय त्रैमासिक किश्तों की संख्या | 07 |
| (8) प्रत्येक त्रैमासिक किश्त की धनराशि | रु0 3,35,000.00 |
| (9) त्रैमासिक किश्त प्रत्येक त्रैमास के प्रथम दिनांक से त्रैमास के अन्तिम दिनांक तक देय होगी। | |

नियम एवं शर्तें

- (1) पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (2) मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम देय की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष 07 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (3) चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से दो माह (60 दिन) के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य पर 2 % प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
- (4) यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया, तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये जो अधिकतम तीन माह होगी, परिषद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज $(11.50+2.00)=13.50$ % प्रतिशत देय होगा तथा ब्याज की गणना त्रैमासिक की जायेगी।
- (5) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के की जायेगी।
- (6) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- (7) पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदों के विरुद्ध देय धनराशि जमा करने की सूचना अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा दी जायेगी।
- (8) पंजीकरण के उपरान्त मांगपत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2012 (प्रथम चरण) के नाम बैंक ड्राफ्ट जो लखनऊ शहर में देय हो, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ में खाता संख्या-2147 (पीली पर्ची) में जमा करना होगा।
- (9) बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर फ्लैट संख्या आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, फ्लैट श्रेणी, एवं सेक्टर संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।
- (10) फ्लैट के मूल्य में कमी-वृद्धि हो जाने पर, अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।
- (11) किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होंगी।
- (12) भवन के सुपर एरिया में परिवर्तन होने के फलस्वरूप लागत में जो परिवर्तन आयेगा उसे अन्तिम मूल्यांकन में समायोजित किया जायेगा।
- (13) किसी भी वाद/विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।


 भवकीय
 सम्पत्ति प्रबन्धक
 कृते आवास आयुक्त